जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री रमेश भाई नाराभाई पटेल, एम.एल. नम्बर 31/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018667, क्षेत्रफल 3.9807 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,45,620 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 82, निकट ग्राम गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर{**कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 112.9342 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–93,63,094.5 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है**} में अप्रधान खनिज बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्ररम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **14.01.2026** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 08.12.2025 को समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते

क्षेत्रीय अधिकारी
राज.राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्री रमेश भाई नाराभाई पटेल** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **''मैसर्स एस.बी.ए. एन्वायरोसिस्टम प्रा. लि''** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **''मैसर्स एस.बी.ए. एन्वायरोसिस्टम प्रा. लि''** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना खसरा नम्बर 82, निकट ग्राम गंगापुरा तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में अप्रधान खनिज– बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्ररम के खनन हेतु प्रस्तावित है **जिसका एम.एल. नम्बर 31/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018667** कुल खनन क्षेत्रफल **3.9807** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **4,45,620** टी.पी.ए. (रोम) {**कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 112.9342 हैक्टेयर एवं कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–93,63,094.5 टी.पी.ए.(रोम)**} होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्रीराम मेधवाल निवासी गंगापुरा द्वारा कहा गया कि लम्बे समय से आधे गाँव में पानी का अभाव है आधे गाँव में पानी बिलकुल भी नहीं आता है साथ ही निवेदन किया गया कि इस समस्या का समाधान किया जावे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों से पुनः निवेदन किया कि यदि प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपके कोई आक्षेप/सुझाव/आपत्तियाँ हो तो प्रस्तुत कर सकते है। अन्य कोई समस्या होने पर ग्राम पंचायत में सम्पर्क किया जा सकता है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः आमंत्रित किया गया।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान लिखित आक्षेप प्राप्त हुआ जिसकी प्रति **परिशिष्ट "स"** पर संलग्न है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर
क्षेत्रीय अधिकारी
राज.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

उपस्थिति पजिंका

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री रमेश भाई नाराभाई पटेल, एम.एल. नम्बर 31/2020, रेफरेन्स नम्बर 2020100018667, क्षेत्रफल 3.9807 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,45,620 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 82, निकट ग्राम गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {एम.एल. नम्बर 31/2020, एम.एल. नम्बर 20/2023, एम.एल. नम्बर 42/2022, एम.एल. नम्बर 25/2021, एम.एल. नम्बर 39/2018, एम.एल. नम्बर 02/2024, एम.एल. नम्बर 24/2021, एम.एल. नम्बर 21/2022, एम.एल. नम्बर 25/2024, एम.एल. नम्बर 17/2023, एम.एल. नम्बर 27/2020, एम.एल. नम्बर 27/2024, एम.एल. नम्बर 18/2023, एम.एल. नम्बर 77/2019, एम.एल. नम्बर 04/2023, एम.एल. नम्बर 33/2020, एम.एल. नम्बर 37/2020, एम.एल. नम्बर 23/2020, एम.एल.नम्बर 80/2019, एम.एल. नम्बर 19/2024, एम.एल. नम्बर 31/2024, एम.एल. नम्बर 31/2023} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 112.9342 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–93,63,094.5 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्ररम के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 14.01.2026 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर

दिनांकः–14.01.2026 समय प्रातः 11.00 बजे

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	राकेश कुमार नाहर	उपखंड अधिकारी, कोलायत	[signature]
2	रेवन्तराम	प्रधान	रेवन्त [signature]
3	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB, Bikaner	[signature]
	हितेन्द्र शर्मा	बीकानेर	हितेन्द्र शर्मा
	[illegible]	गंगापुरा	[signature]
	[illegible]	Jagdish Sharma गंगापुरा	[signature]
	रूपाराम	गंगापुरा (SBT)	रूपाराम
	ओम [illegible]	गंगापुरा	ओम [illegible]
	तारा चन्द मेघवाल	मोरखाना	[signature]
	खियाराम	मोरखाना	[signature]
	खुनाराम	मोटावतान	खुनाराम
	भंवरसिंह	डेह	भंवरसिंह
	तेज सिंह	गंगापुरा	तेज सिंह

उपस्थिति पजिंका

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री रमेश भाई नाराभाई पटेल, एम.एल. नम्बर 31/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018667, क्षेत्रफल 3.9807 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,45,620 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 82, निकट ग्राम गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {एम.एल. नम्बर 31/2020, एम.एल. नम्बर 20/2023, एम.एल. नम्बर 42/2022, एम.एल. नम्बर 25/2021, एम.एल. नम्बर 39/2018, एम.एल. नम्बर 02/2024, एम.एल. नम्बर 24/2021, एम.एल. नम्बर 21/2022, एम.एल. नम्बर 25/2024, एम.एल. नम्बर 17/2023, एम.एल. नम्बर 27/2020, एम.एल. नम्बर 27/2024, एम.एल. नम्बर 18/2023, एम.एल. नम्बर 77/2019, एम.एल. नम्बर 04/2023, एम.एल. नम्बर 33/2020, एम.एल. नम्बर 37/2020, एम.एल. नम्बर 23/2020, एम.एल.नम्बर 80/2019, एम.एल. नम्बर 19/2024, एम.एल. नम्बर 31/2024, एम.एल. नम्बर 31/2023} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 112.9342 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–93,63,094.5 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्ररम के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 14.01.2026 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर

दिनांकः–14.01.2026 समय प्रातः 11.00 बजे

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
	राजु	गंगापुरा	राजु
	देपालसिंह	गंगापुरा	देपालसिंह
	गणेशाराम	गंगापुरा	गणेशाराम
	अरुण	गंगापुरा	अरुण
	नवरतन	गंगापुरा	नवरतन
	[illegible] महतो	[illegible]	[illegible] महतो
	Majid Khan	SBA Enviro System Pvt Ltd Jaipur (Consultant)	Majid Khan
	Laxmi Narayan	Bikaner	[signature]
	Arun Acharya	BKB	[signature]
	[illegible]	बीकानेर	[illegible]
	अतुल गहलोत	Young Intern	[signature]

सेवा मे

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
कोलायत बीकानेर

विषय पेड़ काटने हेतु रोकथाम

नम्र निवेदन है कि हमारे चक में जमीन मे लीज दि जा रही है उसमे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे काटे जा रहे है उसे रोकने हेतु आप लीज धारक को पेड़ सुरक्षा हेतु प्रावधान करे आप उसमे लिज धारक जमीन कि जिओ टेलिंग कराये तो अनेक प्रकार के जीव जन्तु को बेघर होने से रोके आपकी अती कृपा होगी आप पटवारी को जिओ टेलिंग हेतु आदेश करे गंगापुरा चक न. 7

खसरा न: 82

श्रीराम

भवदिय
श्रीराम बिश्नोई
7300258352

कार्यालय जिला कलक्टर बीकानेर

क्रमांकः—सीबी / राजस्व / 2023 / 2554 - 2581 दिनांकः— 27/04/23

समस्त उपखण्ड अधिकारी
समस्त तहसीलदार
जिला बीकानेर

विषयः— पेड़ों को काटने की अनुमति दिये जाने की क्षतिपूर्ति में वृक्षारोपण हेतु स्थान का चयन एवं पेड़ो की देखरेख एवं पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में।
प्रसंगः— इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक सीबी / राजस्व / 2023 / 2536—2553 दिनांक 22.04.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रांसगिक पत्र के माध्यम से काश्तकारों,अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं इत्यादि द्वारा अनुमति पश्चात् काटे गये पेड़ों की एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु तहसीलवार स्थानों का चयन किया गया था, उक्त प्रांसगिक पत्र में चयन किये गये स्थानों को निम्नानुसार संशोधित किया जाकर पुनः एतद्द्वारा जारी किया जाता है :—

क्र.स.	तहसील	ग्राम /चक	खसरा स0	रकबा	भूमि की किस्म
1.	बीकानेर	नापासर	501	25 बीघा	गौचर
2.	कोलायत	दियातरा	223 / 134	32.4344 हैक्टेयर	गौचर
3.	बज्जु	चक 1पीडब्ल्युएम,बागंड़सर	मु. न. 59 / 28	25 बीघा	चारागाह
4.	श्रीडुंगरगढ़	जैतासर	616	6.32 हैक्टेयर	गौचर
5.	खाजुवाला	13 पीबी, 4 पीडब्ल्युएम—बी, 4 पीआरएम	मु.न. 70 / 41, 42 मु.न. 20 / 5,13 मु.न. 56 / 63, 64	49.10 बीघा 50 बीघा 39 बीघा	अनकमाण्ड अनकमाण्ड / गौचर अनकमाण्ड
6.	पुगल	चक 12 डी.डी	मु.न. 71 / 32	3.18 बीघा 20.12 बीघा	कमाण्ड अनकमाण्ड
7.	लुनकरनसर	महाजन	1618 1640 1653 1709	11.39 हैक्टेयर 12.20 हैक्टेयर 10.50 हैक्टेयर 09.84 हैक्टेयर	अराजीराज
8.	नोखा	पांचू दक्षिण	4279 5404 4275 5403 5405 5406 5401 7478 / 4339	7.0 हैक्टेयर 7.45 हैक्टेयर 5.00 हैक्टेयर 3.30 हैक्टेयर 3.67 हैक्टेयर 3.00 हैक्टेयर 1.67 हैक्टेयर 5.00 हैक्टेयर	गैर मुमकिन गौचर
9.	छतरगढ़	छतरगढ़	370 / 2	30.5756 हैक्टेयर	गौचर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त चयन की गई भूमि पर संबधित पटवार हलका स्वयं अपने स्तर पर एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से पानी की व्यवस्था, पेड़ों एवं वृक्षों की देखभाल एवं उनके संरक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उक्त क्षेत्र को विकसित करेगें। सम्बन्धित पटवारी उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के सम्बन्ध में इन्द्राज हेतु एक रजिस्टर संधारण कर पूर्ण मोनिटरिंग सुनिश्चित करेगें। सम्बन्धित तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी भी समय—समय पर उक्त स्थलों का निरीक्षण करेगें।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांकः—सीबी/राजस्व /2023/2582-2584 दिनांकः— 27/04/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बीकानेर
3. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, बीकानेर

जिला कलक्टर, बीकानेर..

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, इकाई प्रथम 682 आरडी

क्रमांक :- 392 - 93 दिनांक :- 5-09-23

निमित :-

तहसीलदार महादेय,
कोलायत/पूगल।

विषयः- जयमलसर, नौखा दैया, भानीपुरा, अमरपुरा, करणीसर आदि राजस्व ग्रामों की रोही में सोलर कम्पानियों द्वारा सोलर प्लांट निर्माण दौरान राज्य वृक्ष खेजड़ी तथा अन्य पेड़ों के अवैध कटान/परिवहन की रोकथाम करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि स्थानीय आमजन तथा वन प्रेमी बुद्धिजिवियों द्वारा अवगत करवा ध्यान में लाया गया है कि आपके अधिन राजस्व/उपनिवेशन परिक्षेत्र में राज्य सरकार की अनुमति से सोलर प्लांट कम्पनियाँ जयमलसर, नौखा दैया, भानीपुरा, अमरपुरा, रामसरा, करणीसर गाँवों की रोही में अवाप्त रकबे में प्लांट स्थापित कर रही है फलस्वरूप इस रकबे में राज्य वृक्ष खेजड़ी तथा बैर, जाल, कीकर आदि वृक्ष प्रजाति के साथ-साथ फोग, खीप आदि स्थानीय वनस्पति का अवैध कटान/परिवहन कर पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे है जिसका वन प्रेमी स्थानीय आमजन इसका विरोध कर रहा है तथा रोकथाम के परिवाद पेश कर रहे है।

मान्यवर इस संबंध में संज्ञान लेकर संबंधित हल्का पटवारी/गिरदावर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करवाकर राजस्व भूमियों पर खेड़े पेड़ों के कटान/परिवहन की बिना सक्षम स्वीकृति के अवैधानिक कृत्य पाये जाने पर इसके रोकथाम हेतु पुलिस/विभागीय कार्यवाही करवाने हेतु अधिनस्थों को पाबंद करावें। आपकी सक्षम अनुमति/स्वीकृति के राज्सव भूमियों पर पेड़ काटना/परिवहन कसा नियम विरूद्ध है। वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में उक्त गतिविधियों की रोकथाम हेतु गस्तीदल का गठन किया गया है तथा विाागीय वन अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा रही है। लेकिन सोलर कम्पनियों द्वारा रोही में पेड़ काटकर वही पर इधर-उधर खेतों में रखकर छुपा रहे है ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग में कार्यवाही करवाकर रोकथाम करावें साथ ही सोलर कम्पनियों के अधिकारीगण/प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक स्थापित कर अवैध रूप से खेजड़ी/पेड़ कटान/परिवहन को रूकवाया जाना उचित होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इकाई प्रथम 682 आरडी
स्टेज-II, बीकानेर

क्रमांकः- दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान उप वन संरक्षक, इ.गा.प.न.प. स्टेज-II, बीकानेर।
2. श्रीमान उप खण्ड अधिकारी कोलायत/पूगल को आवश्यक कार्यवाही व सूचनार्थ ।
3. श्रीमान थानाधिकारी कोलायत/पूगल को आवश्यक कार्यवाही व सूचनार्थ।
4. श्री रिजवान समेजा, प्रभारी गस्तीदल को पालनार्थ।

sd
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
इकाई प्रथम 682 आरडी,
स्टेज-II, बीकानेर